

प्रारंभिक परीक्षा

पूर्ण सूर्य ग्रहण (TOTAL SOLAR ECLIPSE)

संदर्भ

अगस्त 2026 में यूरोप के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो इस महाद्वीप में 27 वर्षों में होने वाला पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।

पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में

- **परिभाषा:** सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है; पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य की दृश्य डिस्क (बिंब) को पूरी तरह से ढक लेता है।
- **कोरोना का अवलोकन:** पूर्ण ग्रहण (totality) के दौरान, चंद्रमा चमकीले सौर डिस्क को अवरुद्ध कर देता है, जिससे अन्यथा धुंधला सौर कोरोना जमीन से दिखाई देने लगता है।
- **अंतरिक्ष मौसम:** कोरोना और इसकी चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को सौर तूफान, सौर प्रज्वाल (solar flares) और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) को समझने में मदद मिलती है, जो उपग्रहों, संचार और जीपीएस नेटवर्क, बिजली प्रणालियों और अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **RRI का पूर्वानुमान:** रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के दिब्येंदु नंदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने ग्रहण के दौरान सौर कोरोना में कई बड़े पैमाने की और छोटी लम्बी 'पंखुड़ी जैसी (petal-like)' संरचनाओं की भविष्यवाणी की है।
- **मॉडलिंग दृष्टिकोण:** टीम ने दो कम्प्यूटेशनल मॉडल का उपयोग किया, जिसमें बहु-वर्षीय मेमोरी वाला डेटा-संचालित मॉडल शामिल है, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र वितरण की भविष्यवाणी करने के लिए उपलब्ध सौर सतह अवलोकनों को शामिल करता है।
- **मॉडल सत्यापन:** ग्रहण के अवलोकन वास्तविक कोरोनल संरचनाओं के साथ कम्प्यूटेशनल भविष्यवाणियों की तुलना करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं, जिससे सौर चुंबकत्व और अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान के मॉडल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

शोम्पेन जनजाति (SHOMPEN TRIBE)

संदर्भ

आदिवासी नेताओं ने चिंता जताई है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड (GNI) विकास परियोजना प्रस्तावित गैलाथिया (Galathea) बिजली संयंत्र के पास रहने वाले एक अलग-थलग स्वदेशी समुदाय, शोम्पेन को प्रभावित कर सकती है।

शोम्पेन जनजाति के बारे में

- **समुदाय:** शोम्पेन दुनिया के सबसे एकांत और सबसे कम अध्ययन किए गए आदिवासी समुदायों में से हैं और भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

- **आवास:** वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करते हैं, जहां लगभग 95% भूमि वर्षावन से आच्छादित है।
- **पारिस्थितिक क्षेत्र:** उनके पारंपरिक क्षेत्र में कैपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं।
- **जनसंख्या:** 2011 की जनगणना में शोम्पेन की आबादी 229 दर्ज की गई थी, हालांकि उनकी वर्तमान जनसंख्या अनिश्चित बनी हुई है।
- **जीवन शैली:** वे बाहरी लोगों के साथ न्यूनतम संपर्क बनाए रखते हैं और शिकार, एकत्रीकरण, मछली पकड़ने और बुनियादी बागवानी पर आधारित अर्ध-खानाबदोश जीवन शैली का पालन करते हैं।

संस्कृति और सामाजिक जीवन

- **आहार:** उनके आहार में विभिन्न प्रकार के वनस्पति पौधे शामिल हैं, जिसमें पेंडनस फल, जिसे स्थानीय रूप से 'लारोप' के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मुख्य भोजन के रूप में कार्य करता है।
- **भाषा:** शोम्पेन भाषा में कई बोलियाँ हैं, यहाँ तक कि निकट स्थित समूहों के बीच भी काफी भाषाई भिन्नता है।
- **पारिवारिक संरचना:** परिवार आम तौर पर एकल होते हैं, जिनमें सबसे उम्रदराज पुरुष आमतौर पर दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है; एकविवाह (monogamy) आम है, हालांकि बहुविवाह (polygamy) का भी अभ्यास किया जाता है।

वर्तमान मुद्दे

- **GNI परियोजना:** शोम्पेन बस्तियां गैलाथिया के पास स्थित हैं, जहां ₹91,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना के हिस्से के रूप में एक बिजली संयंत्र प्रस्तावित है।
- **जीवन शैली संबंधी चिंताएं:** ग्रेट और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया है कि परियोजना शोम्पेन को आधुनिक जीवन शैली अपनाने के लिए दबाव डाल सकती है और उनके जीवन जीने के पारंपरिक तरीके को परेशान कर सकती है।
- **सरकार का रुख:** पर्यावरण मंत्री ने पहले कहा था कि GNI बुनियादी ढांचा परियोजना शोम्पेन को परेशान या विस्थापित नहीं करेगी।
- **निकोबारी चिंताएं:** एक अन्य स्वदेशी समुदाय, निकोबारी ने परियोजना के संबंध में चिंताएं जताई हैं, जिसमें ग्रेटर निकोबार के पश्चिमी तट पर पैतृक गांवों में लौटने की मांग और उनकी सहमति के बिना वन्यजीव भंडार अधिसूचित किए जाने पर आपत्तियां शामिल हैं।
- **वन्यजीव अभयारण्य (रिजर्व):** जनजातीय परिषद ने कहा कि शिकार के अधिकारों को जारी रखने के आश्वासन से आदिवासी सहमति के बिना नए वन्यजीव अभयारण्यों की अधिसूचना को लेकर चिंताएं दूर नहीं हुईं।

उपकर (CESS)

संदर्भ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर (widow and orphan cess) लगाया है।

उपकर के बारे में

- **प्रकृति:** उपकर एक लक्षित कर है जो सरकार द्वारा मौजूदा करों के ऊपर शिक्षा, सड़क या समाज कल्याण जैसे किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए राजस्व जुटाने हेतु लगाया जाता है।
- **संवैधानिक आधार:** उपकर संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत शासित होते हैं, और केंद्रीय उपकर और अधिभार (surcharges) केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रखे गए हैं।
- **लगाने वाला प्राधिकरण:** केंद्र सरकार संसदीय कानून के माध्यम से उपकर लगा सकती है, जबकि राज्य सरकारें राज्य और समवर्ती सूचियों के तहत अपनी संवैधानिक विधायी शक्तियों के भीतर विशिष्ट उपकर लगा सकती हैं।
- **गणना:** उपकर को मौजूदा कर पर कर के रूप में या प्रति इकाई एक निश्चित राशि के रूप में लगाया जा सकता है, जैसे कि ईंधन के प्रति लीटर पर शुल्क।

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

संदर्भ

संसद ने केरल विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम (Keralam) करने का प्रावधान करते हुए केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 के बारे में

- **प्रकृति:** यह विधेयक राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम करता है और इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है।
- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 3 संसद को कानून द्वारा मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।

किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

- **राज्य का प्रस्ताव:** प्रक्रिया राज्य विधानसभा के एक प्रस्ताव के साथ शुरू हो सकती है जिसमें राज्य के नाम में बदलाव का अनुरोध किया गया हो।
- **राष्ट्रपति की सिफारिश:** किसी राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।

- **राज्य विधानमंडल को संदर्भ:** राष्ट्रपति प्रस्ताव को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार जानने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजता है; ये विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- **संसदीय पारित होना:** इस विधेयक को एक साधारण विधेयक माना जाता है और दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
- **सहमति और अधिसूचना:** राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद, कानून लागू हो जाता है और पहली अनुसूची में तदनुसार संशोधन किया जाता है।

एक जड़ी-बूटी, एक मानक (OHOS) पहल

संदर्भ

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने एक जड़ी-बूटी, एक मानक (OHOS) पहल के तहत अपने सहयोग को और तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

एक जड़ी-बूटी, एक मानक (OHOS) पहल के बारे में

- **प्रकृति:** OHOS भारत की पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों के लिए समान, वैज्ञानिक रूप से सुसंगत गुणवत्ता और परीक्षण मानक (मोनोग्राफ) स्थापित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पहल है।
- **कार्यान्वयन संगठन:** इस पहल को आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग (PCIM&H) तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
- **सुसंगत मानक:** भारतीय फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (ASU&H) फार्माकोपिया में समान औषधीय पौधों के लिए परीक्षण विधियों और गुणवत्ता मानकों को संरेखित करता है।
- **क्रॉस-सिस्टम कवरेज:** आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्णा, यूनानी और होम्योपैथी में उपयोग की जाने वाली पौधे-आधारित एकल दवाओं पर लागू होता है।

कोल्लिडम नदी(KOLLIDAM RIVER)

संदर्भ

एएसआई (ASI) पुरातत्वविदों ने हाल ही में लालगुडी, तिरुचिरापल्ली के पास कोल्लिडम नदी में संगम-युग की एक संभावित सिंचाई संरचना के अवशेष खोजे हैं।

कोल्लिडम नदी के बारे में

- **प्रकृति:** कोल्लिडम नदी, जिसे कोलिदम या कोलेरून भी कहा जाता है, तमिलनाडु से होकर बहने वाली कावेरी नदी की उत्तरी वितरिका (tributary) है।

- **उद्गम और मार्ग:** यह श्रीरंगम के पास कावेरी नदी के उत्तरी विभाजन से बनती है और आम तौर पर पूर्व की ओर और फिर उत्तर-पूर्व की ओर बहती है।
- **मुहाना (Mouth):** यह नदी अंततः पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के बीच कई मुहानों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **महत्वपूर्ण बस्ती:** चिदंबरम शहर कोल्लिडम के तट पर स्थित है।

काली गर्दन वाला सारस (BLACK-NECKED CRANE)

संदर्भ

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने लद्दाख में काली गर्दन वाले सारस (क्रेन) की सुरक्षा के लिए 2,950 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की है, जिनके चूजों और घोंसलों पर अल्पाइन आर्द्रभूमि (wetlands) में हमला होने की सूचना थी।

काली गर्दन वाले सारस के बारे में

- **प्रकृति:** काली गर्दन वाला सारस एक मध्यम आकार का सारस है जिसका शरीर मुख्य रूप से सफेद-भूरा, सिर और ऊपरी गर्दन काली, आंखों के चारों ओर लाल निशान और पानी में चलने (wading) के लिए अनुकूलित लंबे पैर होते हैं।
- **स्थानीय नाम:** इसे लद्दाख में "चा थुंग-थुंग (Cha Thung-thung)" और अरुणाचल प्रदेश में "थुंगडुंग कर्मा (Thungdung Karma)" के नाम से जाना जाता है।
- **वितरण:** यह तिब्बती पठार, जिसमें तिब्बत, किंगडॉम, शिनजियांग और गांसू, साथ ही चीन में सिचुआन और भारत में पूर्वी लद्दाख शामिल हैं, के उच्च ऊंचाई वाले दलदलों और झीलों में निवास करता है; अरुणाचल प्रदेश की सांगती और जिमीथांग घाटियों में सर्दियों में रहने वाली एक छोटी आबादी पाई जाती है।
- **आहार:** इसका आहार सर्वाहारी (omnivorous) होता है, जो सेज (sedges) और पौधों की जड़ों, कंदों, केंचुओं, कीड़ों, अन्य अकशेरुकी जीवों और मेंढकों को खाता है।
- **सांस्कृतिक महत्व:** यह प्रजाति लद्दाख की बौद्ध संस्कृति में एक पूजनीय स्थान रखती है और इसे एक पवित्र पक्षी तथा शांति, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
- **प्रमुख खतरे:** प्रमुख खतरों में आर्द्रभूमि के आसपास मानव उपयोग, रैखिक बुनियादी ढांचा, पर्यटन, आवास क्षरण और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ आवारा कुत्तों द्वारा घोंसलों और चूजों पर हमले शामिल हैं।

संरक्षण की स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** खतरे के पास
- **CITES:** परिशिष्ट I
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची I

संचार मित्र योजना

संदर्भ

भारत के तीन संचार मित्रों को युवा-नेतृत्व वाली डिजिटल और दूरसंचार पहलों में उनके योगदान को मान्यता देते हुए 2026-2030 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) जनरेशन कनेक्ट यूथ एन्वाय (दूत) के रूप में चुना गया है।

संचार मित्र योजना के बारे में

- **प्रकृति:** संचार मित्र योजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) की एक पहल है जो भारतीय युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण और सामाजिक पहुंच के उत्प्रेरक के रूप में शामिल करना चाहती है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, जिम्मेदार दूरसंचार उपयोग और डिजिटल पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा छात्रों की क्षमता का उपयोग करना है।
- **पात्रता:** यह योजना दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा या समान क्षेत्रों में कार्यक्रम पेश करने वाले तकनीकी संस्थानों के छात्रों के लिए खुली है, बशर्ते उनके संस्थान योजना में भाग लेते हों।
- **कार्यान्वयन:** यह योजना DoT के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जाती है।

समृद्ध (SAMRIDH) कार्यक्रम

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने हाल ही में राज्यसभा को समृद्ध (SAMRIDH) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में 5 स्टार्टअप्स को समर्थन दिया गया था।

समृद्ध (उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्टअप एक्सेलेरेटर - SAMRIDH) कार्यक्रम के बारे में

- **प्रकृति:** समृद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे संभावित आईटी-आधारित स्टार्टअप्स को चुनने और उन्हें आगे बढ़ाने (स्केलिंग) में एक्सेलेरेटर का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उत्पाद नवाचार और विकास के लिए समर्थन के साथ-साथ ग्राहक जुड़ाव, निवेशक जुड़ाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके स्टार्टअप्स को गति देना (accelerate) है।
- **लक्ष्य:** कार्यक्रम को तीन वर्षों में 300 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें प्रत्येक समूह (कोहोर्ट) में 5-10 स्टार्टअप शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

- **वित्तीय सहायता:** चयनित एक्सेलेरेटर को प्रति स्टार्टअप ₹2 लाख मिलते हैं, जबकि स्टार्टअप्स कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अधीन, ₹40 लाख तक की मैचिंग फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं।



समाचार में स्थान

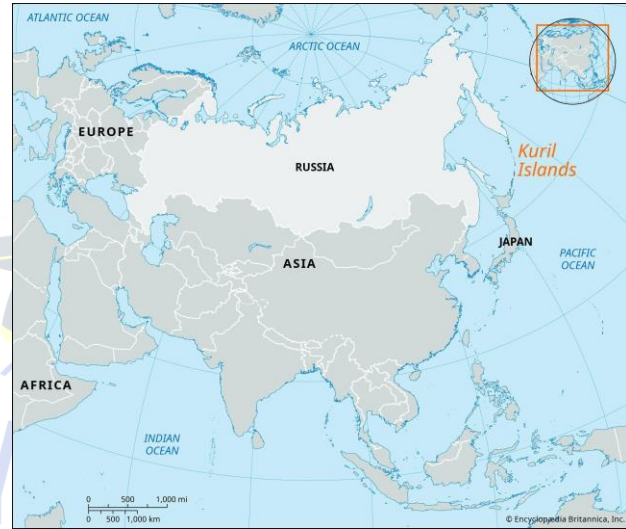
कुरील द्वीप समूह(KURIL ISLANDS)

संदर्भ

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में इटुरुप (Iturup) का दौरा किया, जो तनावपूर्ण रूस-जापान संबंधों के बीच विवादित कुरील द्वीप समूह की उनकी पहली यात्रा है।

कुरील द्वीप समूह के बारे में

- **अवस्थिति:** कुरील द्वीप समूह रूस के सुदूर पूर्व में एक द्वीप श्रृंखला है, जो प्रशांत महासागर और ओखोट्स्क सागर (Sea of Okhotsk) के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
- **विस्तार:** यह द्वीपसमूह रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरपूर्वी होक्काइडो, जापान तक फैला हुआ है, और रूस द्वारा सखालिन ओब्लास्ट के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है।
- **जनसंख्या:** इन द्वीपों की आबादी 20,000 से अधिक है, जिनमें इटुरुप पर कुरीलस्क, परमूशिर पर सेवेरो-कुरीलस्क और कुनाशीर पर युज़्नो-कुरीलस्क जैसी प्रमुख बस्तियाँ शामिल हैं।
- **ज्वालामुखीय भूगोल:** कुरील प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' के भीतर स्थित हैं और इनमें कई गर्म झरनों के साथ-साथ लगभग 35 सक्रिय ज्वालामुखियों सहित 100 से अधिक ज्वालामुखी हैं।
- **क्षेत्रीय विवाद:** जबकि रूस पूरे द्वीपसमूह का प्रशासन करता है, जापान चार सबसे दक्षिणी द्वीपों—इटुरुप, कुनाशीर, शिकोतान और हबोमाई द्वीप—पर अपने 'उत्तरी क्षेत्रों' के रूप में दावा करता है।



मुख्य परीक्षा

भारत में उच्च शिक्षा

संदर्भ

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, उद्यमिता और अनुसंधान में भारत के मजबूत प्रतिभा आधार के बावजूद भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक दिग्गजों (अग्रणी संस्थानों) से पीछे हैं। हालांकि अपर्याप्त वित्तपोषण, विनियमन, बुनियादी ढांचा और नीति को अक्सर इसके कारणों के रूप में उद्धृत किया जाता है, लेकिन मंशा, वैचारिक स्पष्टता और कार्यान्वयन में गहरी कमजोरियां उच्च शिक्षा के परिणामों को सीमित करती हैं।

चीन, सिंगापुर और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर कैसे पहुँच गईं, जबकि कुछ दशक पहले ही भारत के साथ उनका अंतर बहुत कम था?

- **रणनीतिक संसाधन संकेंद्रण:** चीन, सिंगापुर और हांगकांग ने संसाधनों को समान रूप से वितरित करने के बजाय विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रमुख (फ्लैगशिप) संस्थान बनाने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण और संस्थागत स्वायत्तता को कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में केंद्रित किया।
 - उदा.: पेकिंग विश्वविद्यालय के लिए चीन के निरंतर समर्थन ने अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत बड़े अनुसंधान पैमाने वाले संस्थान का निर्माण किया।
- **शिक्षण, अनुसंधान और डॉक्टरेट प्रशिक्षण का एकीकरण:** अग्रणी विश्वविद्यालयों ने उन्नत अनुसंधान और पीएचडी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जन शिक्षा को जोड़ा, जबकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से CSIR प्रयोगशालाओं, TIFR और अन्य स्टैंडअलोन (स्वतंत्र) केंद्रों जैसे संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट (एलिट) शोध को विश्वविद्यालयों से अलग रखा।
- **औद्योगिक और तकनीकी रणनीति के साथ संरेखण:** विश्वविद्यालयों को राज्य-नेतृत्व वाली औद्योगिक नीति में शामिल किया गया था, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing) जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की दिशा में अनुसंधान क्षमता को निर्देशित करते थे।
 - उदा.: सिंगुआ (Tsinghua) विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग पारिस्थितिकी तंत्र सामरिक आत्मनिर्भरता के लिए चीन के व्यापक प्रयास में योगदान देता है।
- **शासन की चपलता और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा:** प्रमुख संस्थानों ने अंतरराष्ट्रीय संकाय (faculty) की भर्ती करने, शोध प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी टीमों का निर्माण करने की मजबूत क्षमता विकसित की, जबकि कई भारतीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय नौकरशाही भर्ती और प्रशासनिक संरचनाओं से विवश रहे।
- **रैंकिंग मेट्रिक्स का जानबूझकर सुदृढ़ीकरण:** ये विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में सुधार करने में अत्यधिक प्रभावी हो गए, जिनमें अनुसंधान मात्रा, उद्धरण (citations), अंतरराष्ट्रीय संकाय, अंतराष्ट्रीय सहयोग और अकादमिक प्रतिष्ठा शामिल हैं।

- **कमजोर संस्थागत क्षमता:** भारत के पास मजबूत छात्र, शोधकर्ता और प्रमुख संस्थान थे, लेकिन खंडित शोध, कठोर शासन, सीमित अकादमिक करियर और कमजोर विश्वविद्यालय-उद्योग जुड़ाव ने प्रतिभा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने को सीमित कर दिया।

- उदा.: IISc और IIT भारत के प्रतिभा आधार को दर्शाते हैं, लेकिन कुछ ही भारतीय विश्वविद्यालय समान शोध गहनता, वित्तपोषण, वैश्विक संकाय और संस्थागत क्षमता को जोड़ते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा में भर्ती के लिए औपचारिक नियम होने के बावजूद पक्षपात का चलन क्यों बना हुआ है?

- **व्यक्तिपरक चयन (Subjective Selection):** औपचारिक नियम यह परिभाषित करते हैं कि कौन पात्र है, लेकिन साक्षात्कार और तुलनात्मक रैंकिंग व्यक्तिगत पसंद के लिए गुंजाइश छोड़ देते हैं।
 - उदा.: सहायक प्रोफेसर्स के लिए UGC 2018 ढांचे के तहत, शॉर्टलिस्टिंग के लिए अकादमिक स्कोर का उपयोग किया गया था, जबकि साक्षात्कार के प्रदर्शन ने अंतिम चयन को प्रभावित किया।
- **इनसाइडर नेटवर्क (आंतरिक तंत्र):** अकादमिक इनब्रीडिंग और व्यक्तिगत नेटवर्क ज्ञात उम्मीदवारों को औपचारिक पात्रता समान होने पर भी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।
 - उदा.: किसी विश्वविद्यालय के अपने स्नातकों की बार-बार भर्ती बंद विभागीय नेटवर्क को मजबूत कर सकती है।
- **नियम लागू करने में विवेक (Discretion):** पक्षपात यह तय करके संचालित हो सकता है कि नियमों की व्याख्या और उन्हें लागू कैसे किया जाए, बिना औपचारिक रूप से उन्हें तोड़े।
 - उदा.: रक्ति वर्गीकरण, रोस्टर आवेदन या पात्रता व्याख्या पर निर्णय यह प्रभावित कर सकते हैं कि कौन से उम्मीदवार विशेष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **कमजोर कार्यान्वयन:** नियमों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है जब संस्थान भर्ती में देरी करते हैं या स्वीकृत पदों को खाली छोड़ देते हैं, जिससे पदों तक वास्तविक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **कम पारदर्शिता:** पक्षपात तब बना रहता है जब उम्मीदवार यह सत्यापित नहीं कर सकते कि अंक कैसे प्रदान किए गए या किसी उम्मीदवार को दूसरे से ऊपर क्यों रखा गया।
- **कमजोर जवाबदेही:** यहां तक कि जब पक्षपात का संदेह होता है, तो शिकायतें, समीक्षाएं और अपीलें प्रभावी ढंग से संदिग्ध निर्णयों को नहीं पलट सकती हैं, जिससे औपचारिक नियमों का निवारक प्रभाव कम हो जाता है।

भारत में उच्च शिक्षा सुधार अक्सर कार्यान्वयन के चरण में क्यों विफल हो जाते हैं?

- **संस्थागत संक्रमण अंतराल:** एक पुरानी नियामक संरचना को बदलने के लिए केवल एक नई संरचना की घोषणा करने से अधिक की आवश्यकता होती है; कानून, नियम, कर्मचारी, डेटाबेस और संस्थागत प्रथाओं सभी को स्थानांतरित होना चाहिए।
 - उदा.: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE) और एनसीटीई (NCTE) को एक नए नियामक ढांचे के साथ बदलने का प्रस्ताव करता है और इसने संस्थागत स्वायत्तता और संघवाद पर चिंताएं पैदा की हैं।

- **विनियमन-वित्तपोषण समन्वय अंतराल:** विनियमन को अनुदान देने से अलग करने से संस्थागत स्वतंत्रता में सुधार हो सकता है, लेकिन यह एक समस्या भी पैदा करता है यदि मानक और वित्तपोषण उन्हें जोड़ने वाले तंत्र के बिना काम करते हैं।
- **संघीय कार्यान्वयन विखंडन:** उच्च शिक्षा सुधारों को असमान कार्यान्वयन का सामना करना पड़ता है क्योंकि केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय अलग-अलग कानूनों, वित्तपोषण व्यवस्थाओं और प्रशासनिक प्रणालियों के तहत काम करते हैं, जो एक समान स्वीकृति को सीमित करते हैं।
- **पैमाने और संबद्धता (Affiliation) की समस्या:** राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन किए गए सुधार को अंततः अत्यधिक खंडित संस्थागत आधार से गुजरना पड़ता है, जिससे एक समान कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है।
 - उदा.: AISHE 2023-24 में 1,289 विश्वविद्यालयों, 48,246 कॉलेजों और 15,221 स्टैंडअलोन संस्थानों को दर्ज किया गया, जिससे लचीले पाठ्यक्रम, क्रेडिट गतिशीलता और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसे सुधारों को विभिन्न क्षमताओं वाले संस्थानों में लागू करना मुश्किल हो गया।
- **संकाय क्षमता घाटा:** सुधार विफल हो जाते हैं जब संस्थानों के पास पाठ्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने, सभी विषयों में पढ़ाने और अनुसंधान की निगरानी करने के लिए पर्याप्त संकाय नहीं होते हैं, जिससे कार्यान्वयन सतही या अधूरा हो जाता है।
 - उदा.: एक संसदीय समिति ने प्रमुख केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में जनवरी 2025 तक 28.56% स्वीकृत शिक्षण पद रिक्त और 56.18% प्रोफेसर-स्तर के पद रिक्त पाए।
- **विलंबित प्रतिक्रिया (फीडबैक):** सुधार विफल हो जाते हैं जब कार्यान्वयन डेटा समस्याओं की पहचान करने, सही रास्ता अपनाने और संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए बहुत देर से आते हैं।
 - उदा.: AISHE 2023-24 ने ऑनलाइन संस्था-स्तरीय डेटा एकत्र किया, लेकिन रिपोर्ट शैक्षणिक वर्ष के लगभग दो साल बाद जारी की गई, जिसने समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सीमित कर दिया।

आगे की राह

- **बहु-वर्षीय प्रदर्शन वित्तपोषण:** प्रमुख संस्थानों को अनुमानित बहु-वर्षीय धन प्रदान करना, जिसके बाद की किरतें मापने योग्य अनुसंधान, संकाय और नवाचार परिणामों से जुड़ी हों।
- **भर्ती सुरक्षा उपायों के साथ स्वायत्तता:** विश्वविद्यालयों को पारदर्शी चयन मानदंडों, बाहरी सदस्यों और ऑडिट योग्य भर्ती रिकॉर्ड के साथ संकाय की भर्ती करने और उन्हें पारिश्रमिक देने की अधिक स्वतंत्रता दें।
- **योग्यता-आधारित अंतिम चयन:** अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान क्षमता को केवल साक्षात्कार शॉर्टलिस्टिंग के लिए उपयोग करने के बजाय अंतिम चयन में महत्वपूर्ण बनाएं।
- **विनियमन को वित्तपोषण से अलग करना:** नियामक निगरानी और वित्तपोषण निर्णयों को संस्थागत रूप से अलग रखें, लेकिन उन्हें सामान्य प्रदर्शन मानकों और परिणाम-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से सरेखित करें।
- **चरणबद्ध संघीय कार्यान्वयन:** एक समान अनुपालन समय सीमा के बजाय केंद्र-राज्य समन्वय के साथ, संस्थागत क्षमता और राज्य की तत्परता के अनुसार सुधारों को अनुक्रमित करें।
- **वैश्विक प्रतिभा और अनुसंधान नेटवर्क:** अंतरराष्ट्रीय संकाय भर्ती, डॉक्टरेट प्रशिक्षण और सीमा पार अनुसंधान भागीदारी को मुख्य विश्वविद्यालय रणनीति में शामिल करें।

- **वास्तविक समय कार्यान्वयन निगरानी:** AISHE को एक सूक्ष्म, संस्था-स्तरीय प्रबंधन प्रणाली में बदलें जो सुधार अपनाने, रक्तियों और परिणामों को ट्रैक करती है और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाती है।

